

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/61/2002-.....

/राँची, दिनांक 01.02.2019

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
औपचारिक रूप
से परामर्शित

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- पलामू जिलान्तर्गत टेमराईन जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 497.96 लाख (रुपये चार करोड़ संतानवे लाख छियानवे हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन पलामू जिलान्तर्गत टेमराईन जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 497.96 लाख (रुपये चार करोड़ संतानवे लाख छियानवे हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- टेमराईन जलाशय योजना के बांयी मुख्य नहर की कुल लम्बाई 4.15 कि०मी० तथा दांयी मुख्य नहर की लम्बाई 3.54 कि०मी० है। बांयी मुख्य नहर से निःसृत लोहारसीमी Water Course की लम्बाई 0.914 कि०मी० है।
- इस योजना का रूपांकित सिंचाई क्षमता 344 हे० खरीफ है।
- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर द्वारा इस योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 497.96 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नवत् है -

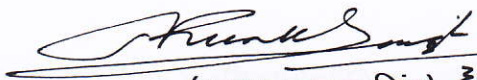
Sl. No.	Component	Amount (in Lakh)
	I- Works	
1	A- Preliminary	5.50
2	D- Regulator	0.16
3	E- Falls	59.71
4	F- C.D. Works	45.02
5	G- Bridges	65.82
6	L(i)- Earth work	31.79
7	L(ii)- Lining	209.33
8	V- Water Course	20.72
	Total (I-Works) :-	438.05
	Add : GST - 12%	52.56
	Total :-	490.61
	Add : 0.50% for Contingency	2.45
	Add : Labour Cess - 1%	4.90
	Grand Total :-	497.96

6. इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेंगे :-
 - i) टेमराईन जलाशय योजना के बांयी मुख्य नहर का पुनरुद्धार एवं लाईनिंग कार्य।
 - ii) टेमराईन जलाशय योजना के दांयी मुख्य नहर का पुनरुद्धार एवं लाईनिंग कार्य।
 - iii) इसके बांयी मुख्य नहर से निःसृत लोहारसीमी Water Course के कि०मी० 0.00 से 0.914 कि०मी० तक पुनरुद्धार कार्य।
 - iv) योजना के डैम का मरम्मत एवं पुनरुद्धार कार्य।
 - v) योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं यथा- Outlets, Inlets, Falls, Aqueduct एवं VR Bridge का मरम्मत एवं निर्माण कार्य।
7. इस कार्य कराने के उपरान्त 179 हे० ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।
8. यह पुनरुद्धार कार्य वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ कर दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
9. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।
10. इस योजना पर होने वाला व्यय
 मुख्य शीर्ष '4701' - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य, लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-54-सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 45-निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड- 49S-4701-80-800-54-05-45)
11. वर्ष 2018-19 के लिये स्वीकृत बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है -
 शीर्ष 49S - 4701 - 80 - 800 - 54 - 05 - 45 में रु० 30000.00 लाख
12. इस योजना का कार्यान्वयन जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा कराया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. कार्य के लिये राशि की निकासी पलामू कोषागार, पलामू से की जायेगी।
15. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
16. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।



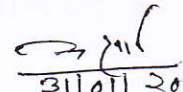
18. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
19. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
20. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(अरुण कुमार सिंह) 31.1.19
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/61/2002-56/18-195-खी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

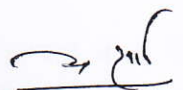
प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/61/2002-56/18-195-खी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

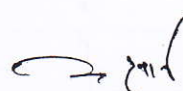
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पलामू कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/61/2002-56/18-195-खी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

